

29/11/2024

पञ्चावली पेशा घुरी वादी का वाद स्वयं
वादी द्वारा दिनांक 18/11/2024 को उलुन
विही उपरना पत्र के आध्या पर खारिज किमा
जा चुका है। एतलिये न. 1 प्रावण का कीर्
आन्वित्त शेष नहीं रह जागा है। अतः प्राची
का उपरना पत्र द्वारा 212 का. टी. ए. व 152 का. टी.
बाद विही होने पर खारिज किमा जागा है
पञ्चावली फौलल शुमार होकर फर्ज नम्बर
से कम है। आदेश खुले न्यायालय में
सुनाया गया।


उपरवर्त अधिकारी
साँभर लेक